न्यायालय— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम— 01 छबडा जिला बारां राज0

पीठासीन अधिकारी — संयोगिता, आर.जे.एस.
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या — **744 / 2022**
सीआईएस नंबर — **3618 / 2016**
सीएनआर नंबर — **RJBR070005132016**

निर्णय की तारीख 28.04.2026
(प्र0सू.रि. / अपराध और पुलिस थाने का विवरण— पुलिस थाना बापचा की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 192 / 2015 अपराध अंतर्गत धारा 143, 435 भा0दं0सं0)

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री रवि किशोर जोनवाल
अभियुक्तगण	1— कंवरलाल पुत्र श्रीलाल, उम्र 40 साल, निवासी बामला, पुलिस थाना बापचा, जिला बारां, राज.। 2— बालकिशन पुत्र हीरालाल, उम्र 53 साल, निवासी बामला, पुलिस थाना बापचा, जिला बारां, राज.। 3— राजाराम पुत्र श्रीलाल, उम्र 35 साल, निवासी बामला, पुलिस थाना बापचा, जिला बारां, राज.। 4— पवन पुत्र श्रीलाल, उम्र 33 साल, निवासी बामला, पुलिस थाना बापचा, जिला बारां, राज.। 5— मूलचन्द पुत्र श्रीलाल, उम्र 30 साल, निवासी बामला, पुलिस थाना बापचा, जिला बारां, राज.। 6—गजानन्द पुत्र हीरालाल, निवासी बामला, पुलिस थाना बापचा, जिला बारां, राज.। (दौराने विचारण फौत हो जाने से दिनांक 20.04.2023 को कार्यवाही ड्रॉप / उपशमित)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री भावेश लोधा, विद्वान अधिवक्ता

अपराध की तारीख	26.06.2015
प्रथम सूचना कायमी की तारीख	02.09.2015
अंतिम प्रतिवेदन पेश करने की तारीख	05.11.2015
आरोप विरचना की तारीख	26.04.2023
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	27.06.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	28.04.2026
निर्णय तारीख	28.04.2026
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निल

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	आरोपित दण्डादेश	धारा 428 द0प्र0सं0 के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
1	कंवरलाल	निल	निल	143, 435 IPC	दोषमुक्त	निल	निल
2	बालकिशन	निल	निल	143, 435 IPC	दोषमुक्त	निल	निल
3	राजाराम	निल	निल	143, 435 IPC	दोषमुक्त	निल	निल
4	पवन	निल	निल	143, 435 IPC	दोषमुक्त	निल	निल
5	मूलचंद	निल	निल	143, 435 IPC	दोषमुक्त	निल	निल

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

(क)अभियोजन–

साक्षी क्रम (Rank)	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
PW-1	मानसिंह चौधरी	पुलिस साक्षी
PW-2	जमनालाल	परिवादी
PW-3	राधेश्याम	नक्शा–मौका ताईदकर्ता
PW-4	रामगोपाल	नक्शा–मौका ताईदकर्ता

(ख)प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो–

साक्षी क्रम (Rank)	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

(ग) न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो–

साक्षी क्रम (Rank)	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयनी प्रदर्शों की सूची

(क)अभियोजन–

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
1	P1	इस्तगासा
2	P2	चाक एफआईआर
3	P3	नक्शा मौका

(ख)प्रतिरक्षा प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
निल	निल	निल

(ग)न्यायालय प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
निल	निल	निल

(घ)वस्तु प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
निल	निल	निल

निर्णय दिनांक 28.04.2026

01– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.07.2015 को परिवादी जमनालाल ने एक इस्तगासा न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छबड़ा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 26.06.2015 को रात 08 बजे के लगभग परिवादी के बेटे की बहू नेनी बाई अपने घर के पास गाय का दूध निकाल रही थी, कि अभियुक्तगण एक राय होकर के आये और परिवादी के बेटे की बहू नेनी पर पत्थरों से हमला कर दिया। नेनीबाई वहां से भागकर परिवादी के घर में घुसी तथा उक्तघटना बताई, इतने में सभी लोग परिवादी के घर में घुस गए। परिवादी के परिवार वाले इतने लोगों को देखकर घबरा गये, और परिवादी व पूरा परिवार अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भाग गये। बालकिशन मास्टर अन्य लोगों के साथ यह कह रहा था, कि इन सभी को मार दो। इसके बाद सभी अभियुक्तगण ने परिवादी की गृह आदि व सम्पत्ति को नष्ट करने के आशय से परिवादी के निवास करने के घर में आग लगा दी। परिवादी के गृहस्थी के सभी सामान जलकर राख हो गए। कुछ भी नहीं बचा। घर में 02 किलो चांदी व 25000 / रू. नगद थे, जो शादी करने लिए थे इनको भी उक्त अभियुक्तगण ही

चुराकर ले गए। प्रार्थी के खाने—पीने के सामान भी नहीं बचे। प्रार्थी अभियुक्तगण के आग लगाने से बर्बाद हो गया है। प्रार्थी को आग से करीब दस लाख रूपयों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। प्रार्थी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बापचा में दी थी एवं उच्च अधिकारियों को भी दी थी, परन्तु कोई कार्यवाही न करके प्रार्थी को भगा दिया। परिवादी व उसके परिवार वालों को गांव में नहीं जाने दिया जा रहा है, परिवादी व उसका परिवार इधर—उधर रहकर अपने दिन निकाल रहे है। वे अपने गांव जाते हैं तो उक्त अभियुक्तगण लाठी व हथियारों से लेस होकर पीछे पड़ जाते है और गांव में नहीं घुसने देते हैं, परिवादी की फसल भी चौपट हो गई है। उक्त अभियुक्तगण सदोष अवरोध कर रहे हैं। प्रार्थी व उसके परिवार को उक्त अभियुक्तगण से अपनी जान का खतरा है। और समय पर फसल नही बोई तो परिवादी का परिवार भूख से मर जाएगा। अभियुक्तगण ने जानबूझ कर प्रार्थी के निवास स्थान को अग्नि द्वारा जलाया है और परिवादी के निवास स्थान से उक्त रूपयों व चांदी को चुराया हैं। ऐसे कृत्य करने का सभी अभियुक्तगण का समान आशय था।.................इत्यादि।

02— उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना बापचा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 192 / 2015 अपराध अंतर्गत धारा 143, 436, 341 भा0दं0सं0 में दर्ज की गयी। बाद अनुसंधान प्रकरण में अदम वकू झूठ में अंतिम प्रतिवेदन इस न्यायालय के समक्ष पेश किया था, जिसका परिवादी द्वारा विरोध कर उसी दिन प्रोटेस्ट पिटिशन पेश की। परिवादी द्वारा प्रोटेस्ट पिटिशन के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर बाद सुनने बहस—प्रसंज्ञान मामले में अभियुक्तगण **पवन, कंवरलाल, राजाराम्, बालकिशन, मूलचंद के विरूद्ध धारा 143, 435 आई.पी.सी.** में प्रसंज्ञान लिया प्रकरण बतौर नियमित फौजदारी प्रकरण के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया।

नोट मामले में प्रकरण हालांकि अभियुक्तगण **पवन, कंवरलाल, राजाराम्, बालकिशन, मूलचंद तथा गजानंद** के खिलाफ दर्ज हुआ था परंतु दौराने विचारण अभियुक्त **गजानंद** की फौत हो जाने के कारण उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गयी। ऐसे में यह निर्णय केवल अभियुक्तगण **पवन, कंवरलाल, राजाराम्, बालकिशन, मूलचंद** के संबंध में ही पारित किया जा रहा है।

03— तत्पश्चात अभियुक्तगण **पवन, कंवरलाल, राजाराम्, बालकिशन, मूलचंद** को धारा **143, 435** भारतीय दंड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन समझकर अभियुक्तगण ने अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04— साक्ष्य अभियोजन मे अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी0ड0 1 लगायत पी.ड. 4 के बयान लेखबद्ध कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 लगायत पी 3 को प्रदर्शित कराया गया।

06— बाद साक्ष्य अभियोजन अभियुक्तगण को धारा 313 द0प्र0सं0 के तहत परीक्षित कराया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरूद्ध आयी अभियोजन साक्ष्य को गलत होना जाहिर किया और साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया। जिस पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

07— बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया गया ।

08— बहस के दौरान विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अपना मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर कठोर दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

09— जबकि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि प्रकरण में अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। हस्तगत प्रकरण की घटना से अभियुक्तगण का कोई संबंध नहीं है और न ही हस्तगत प्रकरण में घटना घटित हुई है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित नहीं कर पाया है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाने का निवेदन किया गया।

10— उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में विनिश्चय हेतु निम्न अवधार्य बिंदु पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है कि —

01. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 26.06.2015 को रात के लगभग 08.00 बजे माल मौजा बापचा में परिवादी जमनालाल के बेटे की बहू नेनी बाई के साथ मारपीट करने के लिए विधिविरूद्ध जमाव का गठन कर परिवादी/आहतगण के प्रति हिंसा व बल का प्रयोग कर बलवा कारित किया तथा परिवादी के घर में रखे घर गृहस्थी के सामान में आग लगाकर सौ/— रूपये से अधिक की सम्पत्ति, का नुकसान कर रिष्टी कारित की ?

02. यदि हां, तो अभियुक्तगण को किस दंड से दंडित किया जाना उचित होगा ?

11— उपरोक्त अवधार्य बिंदु के संबंध में फरियादी की ओर से प्रस्तुत समस्त

मौखिक तथा प्रलेखीय साक्ष्य का अवलोकन करें तो जाहिर आता है कि मौखिक साक्ष्य में स्वयं फरियादी पीडब्लू 2 जमनालाल परीक्षित होकर मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि 2015 की बात है। गवाह के घर की रात के करीब 7—8 बजे की बात है। गवाह के बेटे केलाश की पत्नी नेनीबाई गाय का दूध निकाल रही थी तो कंवरलाल आया और नेनीबाई को पत्थर मारने लगा। राजाराम, पवन, नेनकराम, मूलचंद, गजानंद, श्रीलाल, और बालकिशन सभी आये और नेनीबाई को पत्थर मारने लगे, घर में घुस गये, घर में पत्थर मारने लगे। गवाह वहां से भाग गया फिर बाद में उसके घर में आग लगा दी। गवाह के घर में 2 किलो चांदी जो उसने शादी के लिए रख रखी थी, नगद 25,000 / — रूपये, खाने पीने का सामान, गेहूं, कपडे सब में आग लगा दी। इस्तगासा प्रदर्श पी 1 है जिस पर एक्स स्थान पर गवाह की अंगूठा निशानी है। नक्शा मोका प्रदर्श पी 3 गवाह के सामने मोके पर बनाया जिस पर एक्स स्थान पर गवाह की अंगूठा निशानी है।

12— प्रतिपरीक्षण में गवाह जाहिर करता है कि घटना के समय वह मौके पर था। बालकिशन सरकारी अध्यापक है जो मध्यप्रदेश में पढ़ाता हो तो उसकी जानकारी में नही है। घटना के समय नेनीबाई घर पर गाय लगा रही थी तथा वह उस समय घर पर था। इसके अतिरिक्त उसकी पत्नी घर पर थी। चांदी का जो सामान बताया उसका अलग—अलग वजन पता नही होना बताते हुए थानेदार को उसका बिल नही दिया जाना स्वीकार किया। गवाह यह भी स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी 1 में अंकित मुलजिमान के आते ही वह वहां से भाग गये थे. उनके भागने के बाद उनके साथ कोई मारपीट नही हुई तथा उन्होने किसी को आग लगाते हुए नहीं देखा। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि उसने जो टापरी बना रखी थी उसे वन विभाग वालो द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। किंतु मुलजिमान से उनका झगडा वन विभाग की जमीन को लेकर हो तो इस सुझाव से गवाह इंकार करता है। इस प्रकार वक्त घटना फरियादी घटना स्थल पर स्वयं के अलावा उसकी पत्नी तथा बहू नेनीबाई का मोजूद होना बताता है। फरियादी की पत्नी को फरियादी की ओर से गवाह सूची में शामिल नही किया गया है जबकि नेनीबाई को बार—बार तलब किये जाने पर भी वह बावजूद सूचना न्यायालय में परीक्षण हेतु अनुपस्थित रही है जिसका कोई समुचित कारण भी फरियादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी प्रकार गवाह केलाश चंद भी स्वेच्छ्या बिना किसी समुचित कारण के न्यायालय में परीक्षित नहीं हुआ है।

13— गवाह पीडब्लू 3 राधेश्याम तथा पीडब्लू 4 रामगोपाल नक्शा मोका प्रदर्श पी 3 के गवाह है। जो कि दोनों ही गवाहान मुख्य परीक्षण में नक्शा मोका

प्रदर्श पी 3 उनके सामने बनाया जाना कहते हुए उस पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित करते है किंतु प्रतिपरीक्षण में दोनों ही गवाहान द्वारा उक्त दस्तावेज के संबंध में स्पष्ट अनभिज्ञता जाहिर की है तथा केस बाबत कोई जानकारी होने से भी इंकार किया है।

14– गवाह पीडब्लू 1 मानसिंह प्रकरण में बाद अनुसंधान अंतिम नतीजा अदम वकू झूठ में प्रस्तुत करने का ओपचारिक गवाह मात्र है जो कि प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार करता है कि प्रकरण में उसके द्वारा अनुसंधान नहीं किया गया है। अनुसंधान अधिकारी अरूण सिंह मृत्यु कारण से साक्ष्य में परीक्षित नहीं हुए है जो कि परीक्षित न होने का एक समुचित कारण है।

15– उपरोक्त प्रस्तुत साक्ष्य से यह जाहिर आता है कि हस्तगत प्रकरण में थाना बापचा की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित न पाया जाकर अंतिम नतीजा अदम वकू झूठ में प्रस्तुत किया गया जिससे कि अनुसंधान अधिकारी अरुण सिंह तथा अंतिम नतीजा पेशकर्ता मानसिंह चौधरी की साक्ष्य फरियादी पक्ष की किसी प्रकार मदद नहीं करती है। इसके अतिरिक्त गवाह अरुण सिंह भी मृत्यु कारण से साक्ष्य में परीक्षित नही हुआ है। नक्शा मोका प्रदर्श पी 3 के दोनों ही गवाहान उक्त दस्तावेज तथा प्रकरण के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी होने से इंकार करते है। जिससे कि एक मात्र चश्मदीद गवाह फरियादी जमनालाल पीडब्लू 2 की साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसका सूक्ष्मदर्शी अवलोकन किया जाना आवश्यक है। उक्त फरियादी साक्ष्य में यह स्वीकार करता है कि मुलजिमान के आते ही वह वहां से भाग गये थे तथा उसके बाद उनके साथ कोई मारपीट नही हुई, न ही उनके द्वारा किसी को आग लगाते हुए देखा गया। वह मुलजिमान द्वारा नेनीबाई पर पत्थर फेंकना बताता है किंतु उक्त नेनीबाई को फरियादी द्वारा पर्याप्त अवसर होने एवं बावजूद सूचना के साक्ष्य में परीक्षित नही करवाया गया है जिससे कि फरियादी के उक्त कथन संपुष्टिकारक साक्ष्य के मोहताज है। नेनीबाई को पत्थर मारने की घटना की पुष्टि हेतु स्वयं नेनीबाई सर्वोत्तम साक्षी है जो कि स्वेच्छ्या न्यायालय में उक्त घटना की पुष्टि हेतु उपस्थित नहीं हुई है। फरियादी द्वारा जो जेवरात तथा रूपये नष्ट होना बताये गये है उनकी पुष्टि में कोई बिल नही दिया जाना स्वीकार किया गया है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी घटना स्थल पर जले हुए जेवरात अथवा रूपये बरामद होने के अलामात के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नही की गई है। इस प्रकार केवल मात्र फरियादी की साक्ष्य के आधार पर संदेह से परे यह निष्कर्ष नही निकलता है कि अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना के दिवस

फरियादी पक्ष के विरूद्ध हिंसा या बल का प्रयोग किया हो अथवा किसी प्रकार की रिष्टी कारित की हो।

16— इसके अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य दस्तावेज अभियोजन पक्ष की कहानी को प्रमाणित करने में उन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं करते। इन सब के अलावा रिकॉर्ड पर ऐसी कोई अन्य साक्ष्य या सामग्री उपलब्ध नहीं है जो अभियोजन पक्ष की कहानी या पक्षकथन की किसी प्रकार से पुष्टि करती हो।

17— इस प्रकार प्रकरण में आयी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के उपर्युक्त विवेचन पश्चात् न्यायालय के विनम्र मत में मुख्य विचारणीय बिन्दु संख्या 1 कि '' **अभियुक्तगण ने दिनांक 26.06.2015 को रात के लगभग 08.00 बजे माल मौजा बापचा में परिवादी जमनालाल के बेटे की बहू नेनी बाई के साथ मारपीट करने के लिए विधिविरुद्ध जमाव का गठन कर परिवादी / आहतगण के प्रति हिंसा व बल का प्रयोग कर बलवा कारित किया तथा परिवादी के घर में रखे घर गृहस्थी के सामान में आग लगाकर सौ / — रूपये से अधिक की सम्पत्ति, का नुकसान कर रिष्टी कारित की** '' को अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा **143, 435 भारतीय दंड संहिता** के सम्बन्ध में अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष पूर्णतया असफल रहा है। फलस्वरूप अभियुक्तगण **पवन, कंवरलाल, राजाराम़, बालकिशन, मूलचंद** संदेह का लाभ प्राप्त कर उनके विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **143, 435 भारतीय दंड संहिता** के लिए दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य हैं।

::—आदेश::—

18— अतः अभियुक्तगण **1— कंवरलाल पुत्र श्रीलाल, उम्र 40 साल, निवासी बामला, पुलिस थाना बापचा, जिला बारां, राज., 2— बालकिशन पुत्र हीरालाल, उम्र 53 साल, निवासी बामला, पुलिस थाना बापचा, जिला बारां, राज., 3— राजाराम पुत्र श्रीलाल, उम्र 35 साल, निवासी बामला, पुलिस थाना बापचा, जिला बारां, राज., 4— पवन पुत्र श्रीलाल, उम्र 33 साल, निवासी बामला, पुलिस थाना बापचा, जिला बारां, राज. व 5— मूलचन्द पुत्र श्रीलाल, उम्र 30 साल, निवासी बामला, पुलिस थाना बापचा, जिला बारां, राज.** को संदेह का लाभ दिया जाकर उनके विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **143, 435 भारतीय दंड संहिता** से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में इस न्यायालय में पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

19— अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक अपील होने

की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 30–30 हजार रूपये के जमानत मुचलके न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करायेगा जो कि बाद कराने तस्दीक आगामी 06 माह की अवधि तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(संयोगिता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
क्रम– 01 छबड़ा जिला बारां राज.

20– आदेश आज दिनांक **28.04.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(संयोगिता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
क्रम– 01 छबड़ा जिला बारां राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.05.16 10:25:49 IST